RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2022-24
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

नवम्बर-2021 | वर्ष - 13 | अंक : 10 | मूल्य : 5/-

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश : सुनीता धीमान, 414/12, शास्त्री नगर, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 9450871741
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय : 40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख कानपुर मण्डल : पुष्पेन्द्र गौतम, मल्हौसी, औरेया, उ.प्र. मो.: 9456207206
हरियाणा राज्य : डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : दिलीप कुमार कोसले, मो. : 09424168170
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
चिरंजीलाल बैरवा (व्यावस्थापक) मेहरा आदर्श विद्या मन्दिर, भीम नगर कालोनी, राज भट्टा, दिल्ली रोड, अलवर, जिला-अलवर, मो.-09829855349
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय : ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.) मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक, शाखा-पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020 • IFSC CODE-SBIN0001784

प्रसूति लाभ विधेयक

डा. भीमराव अम्बेडकर : महोदय! मैं इस विधेयक के प्रथम वाचन के समर्थन में बोल रहा हूं। ऐसा करते समय मैं इस विधेयक के विरुद्ध चर्चा के दौरान उठाए गए मुद्दों का उत्तर देना चाहता हूं। इस विधेयक के विरूद्ध माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य ने सर्वप्रथम यह कहा है कि यह कोई दुर्घटना नहीं – ऐसी दुर्घटना – जिसका आशय हम कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम से लेते हैं। अतएव, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम का सिद्धांत उन महिलाओं पर लागू नहीं किया जा सकता, जो इस विधेयक के अंतर्गत लाभान्वित होंगी। महोदय! मैं मानता हूं कि यह कोई दुर्घटना नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि महिलाएं उन लाभों की हकदार नहीं हैं, जिन्हें इस प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह विधेयक जिस सिद्धांत पर आधारित है, वह एकतरफा है। मुझे विश्वास है कि सभी सदस्य इस बात से पूर्णतया सहमत होंगे कि मां के लिए प्रसव–पूर्ण दशाएं तथा प्रसव के पश्चात बच्चों के लालन–पालन की समस्या विधेयक का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं नहीं समझता कि कोई भी इस सिद्धांत के विरूद्ध होगा। महोदय! अतएव, मेरा यह विश्वास है कि यह राष्ट्रीय हित में होगा कि जच्चा को कुछ समय के लिए प्रसव के पूर्व और कुछ समय के लिए प्रसव के पश्चात विश्राम दिया जाए। विधेयक के सिद्धांत पूर्णतया इस तथ्य पर आधारित हैं।

महोदय! इसलिए मैं यह स्वीकार करता हूं कि इसकी अधिकांश जिम्मेदारी सरकार को ही निभानी होगी। मैं इस सच्चाई को स्वीकार इसलिए करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सामान्य जनता के कल्याण की चिंता करना बुनियादी तौर से सरकार की जिम्मेदारी है। प्रत्येक देश में जहां प्रसूति लाभ दिए जाते हैं, वहां प्रसूति लाभ के लिए सरकार कुछ राशि व्यय करती है। महोदय! लेकिन ऐसा होते हुए भी मैं यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं कि किसी महिला का कोई नियोक्ता प्रसूति की अवस्था में महिला के हितों की रक्षा के लिए अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह मुक्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण यह है कि नियोक्ता महिला को किसी उद्योग विशेष में इसलिए काम पर लगाता है, क्योंकि उसको पुरूष की अपेक्षा महिला को काम पर लगाने से अधिक लाभ होता है। यह पुरूषों को काम पर लगाकर मिलने वाले लाभ की तुलना में महिलाओं को काम पर लगाकर अधिक मुनाफा अर्जित कर पाता है। इसी कारण यह कहना पूर्णतया उचित है कि इस प्रकार का लाभ प्रदान करने के लिए नियोक्ता की भी कुछ हद तक जिम्मेदारी बनती है, खासतौर पर उस समय जबकि उसे पुरूषों को काम पर लगाने पर मिलने वाले मुनाफे की तुलना में महिलाओं को रखने से अधिक लाभ होता है। अतएव, मेरा यह कहना है कि यद्यपि प्रसूति लाभ के मामले में निश्चित रूप से कुछ जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है, तथापि मेरे विचार से यदि इन हालात में विधेयक में नियोक्ता को भी कुछ दायित्व सौंपा गया है, तो उससे विधेयक पूरी तरह गलत नहीं हो जाता। अतएव, इस कारण से मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

यह कहा गया है कि यह विधेयक केवल कारखानों पर लागू किया गया है, अन्य उद्योगों अथवा कृषिगत व्यवसायों पर नहीं। इसका जवाब बहुत सरल है। यह सिद्धांत उन उद्योगों पर लागू किया गया है, जहां के हालात महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कृषि तथा अन्य व्यवसायों में महिलाओं को उन खतरों का सामना नहीं करना पड़ता अथवा वहां वे हालात नहीं हैं, जो फैक्टरियों में हैं और जो फैक्टरियों में काम करने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। इसी वजह से ऐसे विधेयक प्रायः केवल फैक्टरियों पर ही लागू किए जाते हैं। कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के लिए भी यही बात कही जा सकती है। यह अधिनियम उन दुर्घटनाओं पर लागू होता है, जो श्रमिकों के साथ फैक्टरयों में काम करते समय घटती हैं। इसी कारण यह अधिनियम केवल फैक्टरियों पर लागू किया गया है, अन्य व्यवसायों पर नहीं।

माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य ने उद्योगों पर इसका बोझ डालने के बारे में कहा है कि इससे मजदूरी की दरों में कमी आएगी। मैं यह नहीं सोचता कि इससे मजदूरी की दरों में कोई कमी आएगी। यदि ऐसा होता है भी, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि उद्योगों पर पड़ने वाला बोझ कुछ हद तक दूसरी जगह स्थानांरित कर दिया जाएगा और माननीय सामान्य (जनरल) सदस्य को इसी आधार पर कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि यह विधेयक पारित हो जाता है, तो मेरा यह कहना है कि यह बोझ संभवतया उपभोक्ताओं पर पड़ेगा और यदि यह बोझ उपभोक्ताओं पर पड़ता है, तो समाज को किसी उत्पादन के लिए अधिक कीमत चुकाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ताकि उत्पादक को वस्तु के उत्पादन से लाभ पहुंचेगा।

इसके पश्चात यह कहा गया है कि इस विधेयक को बंबई प्रेसिडेंसी में ही लगाना न्यायपूर्ण नहीं है और इसे संपूर्ण भारत पर लागू किया जाना चाहिए तथा बंबई प्रेसिडेंसी को भी भारत के अन्य प्रांतों के समान समझा जाना चाहिए। महोदय! इस संबंध में मेरा यह कहना है कि मान लीजिए यह विधेयक संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर लागू किया जाता है, तो किसी व्यक्ति को यह बात करने से कैसे रोका जा सकता है कि यह विधेयक केवल भारत पर क्यों लागू किया जा रहा है, अन्य देशों पर क्यों नहीं? विश्व के अन्य देशों की तुलना में 'भारत को अलाभकारी स्थिति में क्यों डाला जा रहा है और हमें इस स्थिति में उस समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, जब तक कि संपूर्ण विश्व इस सिद्धांत को नहीं अपना लेता और ऐसा होने पर हम अन्य देशों के समान हो जाएंगे।' मेरे विचार में इस तर्क में कोई वजन नहीं है और मैं सोचता हूं कि इस विधेयक के माध्यम से सुझाए गए लाभ विधान–मंडल द्वारा उन गरीब महिलाओं को दिए जाने चाहिए, जो इस प्रेसिडेंसी में हमारी फैक्टरियों में कठिन परिश्रम करती है।

साभार :
बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–3, पृष्ठ संख्या 185 से 187 तक
डॉ. अम्बेडकर

चौबीसवीं पहेली कलियुग की पहेली

कालगणना की जो इकाईयां हिंदुओं में प्रयुक्त होती है, उनकी ओर लोगों का सम्यक ध्यान नहीं जाता कि उनकी विशिष्टता क्या है? यह ऐसा विषय है जो पुराणों से संबद्ध है। उनके अनुसार काल गणना के पांच माप हैं: 1. वर्ष, 2. युग, 3. महायुग, 4. मन्वंतर और 5. कल्प। हम इन इकाईयों के संबंध में विष्णु पुराण पर आते हैं। वर्ष से आरम्भ करें। विष्णु पुराण ने इसे किस प्रकार गिना है:

''हे ऋषि श्रेष्ठ! पन्द्रह बार पलक झपकने पर एक काष्ठ पूर्ण होता है। तीस कलाओं से एक महूर्त, तीस मुहूर्तों से एक मानवीय दिन और रात। ऐसे तीन दिनों से एक महीना बनता है। उसके दो पक्ष होते हैं, 6 मास के एक आयण (उत्तरायण, दक्षिणायण) बनता है और दो आयणों से एक वर्ष बनता है।''

विष्णु पुराण में ही एक अन्य स्थान पर यही व्याख्या विस्तार से दी गई है:

पन्द्रह बार पलक झपकने (निमेधों) से एक काष्ठ, तीस काष्ठ से एक कला, तीस कलाओं से एक मुहूर्त (अड़तालीस मिनट), तीस मुहूर्तों से एक दिन और रात, उनका समय चाहे घटता–बढ़ता रहे। यह कहा गया है कि संध्या घटने–बढ़ने की दशा में भी वही रहती है। उसका एक ही मुहूर्त होता है। परन्तु जिस समय सूर्य की परिधि को तीन मुहूर्त के लिए रेखांकित किया जाए, यह मध्यांतर प्रातः कहलाता है जो दिवस का पंचमांश होता है। अगला भाग अर्थात प्रातः के पश्चात के तीन मुहूर्त संगव (पूर्वाह्न) होता है। अगले तीन मुहूर्त मध्याह्न होते हैं, उसके पश्चात के तीन मुहूर्त अपराह्न अथवा संध्या होते हैं और दिन के पन्द्रह मुहूर्तों का पांच समान भागों में विभक्त किया है।

तीस–तीस मुहूर्तों के पन्द्रह दिनों से एक पक्ष बनता है चन्द्र पक्ष दो पक्षों से एक मास, दो मास से षट ऋतु की एक ऋतु, तीन ऋतुओं से एक आयण अर्थात उत्तरायण अथवा दक्षिणायण, और दो आयणों से एक वर्ष बनता है।

विष्णु पुराण में युग की परिकल्पना इस प्रकार गई है:

''बारह हजार दैवी वर्षों (एक में तीन सौ साठ) से चार युग बनते हैं, उनका विवरण इस प्रकार है: कृत युग में चार हजार दैवी वर्ष, त्रेता में तीन हजार, द्वापर में दो हजार और कलियुग में एक हजार। यह प्राचीन गणना के समान है।''

''प्रत्येक युग से पूर्व एक संध्या होती है। यह कई सौ वर्षों की होती है क्योंकि एक युग में हजार वर्ष होते हैं। युग के पश्चात संध्यांश आता है। उसकी अवधि भी इतनी ही होती है। संध्या और संध्याशं की बीच युग होता है। जैसे कृत, त्रेता आदि।''

विष्णु पुराण में समय नापने के लिए महायुग का जिक्र आया है। वह कहता है:

''वर्ष में चार प्रकार के महीने होते हैं। जिनकी पांच पहचान हैं और इन सबको मिलाकर एक युग का चक्र बनता है। वर्ष को संवत्सर, इद्त्सर, अनुवत्सर, परिवत्सर और वत्सर, कई नामों से पुकारा जाता है। यह समय युग कहलाता है।''

महायुग का अर्थ है युग का विस्तार जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया है:

''कृत, त्रेता, द्वापर और कलि मिलकर महायुग बनते हैं अथवा चतुर्युग, इस प्रकार के हजार का योग ब्रह्मा का एक दिन होता है।''

विष्णु पुराण में मन्वंतर की व्याख्या इस प्रकार की गई है:

''मध्यांतर मन्वंतर कहलाता है। वह चार युगों का इकहत्तर गुना बड़ा होता है। उसमें कुछ और वर्ष भी होते हैं।''

कल्प के विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है:

''ब्रह्मा का दिन कल्प''

कुछ अवधि हैं, जिनमें समय का विभाजन किया जाता है। इन अवधियों में कितना समय होता है, यह उल्लेखनीय है।

वर्ष की अवधि सरल है। यह 365 दिन का ही होता है। युग, महायुग मन्वतर और कल्प गिनना टेढ़ी खीर हैं, फिर भी कल्प के विभाजन में युग और महायुग को समझना कुछ सरल है अपेक्षाकृत इसके कि कल्प को युगों से गुणा किया जाए। कल्प और महायुग के संबंधों को समझने के लिए हमें 71 महायुगों को जोड़ना होगा जबकि एक महायुग में चार युग होते हैं और एक मन्वंतर 71 महायुगों तथा कुछ वर्षों का होता है।

इन इकाईयों के आधार पर कालगणना करते समय हम युग को आधार मानकर नहीं चल सकते। क्योंकि युगों का समय तो निश्चित है किन्तु उनमें समानता नहीं है। गणना का आधार महायुग है जिसका समय निर्धारित है।

महायुग में चार युग होते हैं। यथा, 1. कृत, 2. त्रेता, 3. द्वापर और 4. कलि। प्रत्येक युग का समय निश्चित है। प्रत्येक युग के आगे–पीछे संध्या का संध्यांश होते हैं। उनका समय भी निर्धारित है। विभिन्न युगों का अपना समय और उनके साथ सम्बद्ध संध्या और संध्यांश का समय भिन्न–भिन्न है।

युग	समय	संध्या	संध्यांश	योग
कृत	...4000	400	400	4800
त्रेता	...3000	300	300	3600
द्वापर	2000	200	200	2400
कलि	1000	100	100	1200
महायुग	....	....	....	12000

महायुगों की यह गणना दैवी वर्षों के आधार पर हैं अर्थात ब्रह्मा के 12000 दैवी वर्षों से एक महायुग बनेगा। हिसाब यह है कि मानव का एक वर्ष महायुग के एक दैवी दिन के बराबर है। इस प्रकार मानव वर्षों के आधार महायुग का हिसाब इस प्रकार बैठता है (360x12000)=43,20,000 वर्ष।

71 महायुगों से एक कल्प बनता है। इसका अर्थ है, कल्प का समय हुआ (43,20,000x71=3,06,72,000)।

मन्वंतर 71 महायुगों तथा कुछ वर्षों का योग है। मन्वंतर का काल कल्प के बराबर बैठता है अर्थात 3,06,72,000 तथा कुछ और वर्ष। मन्वंतर का समय कल्प से कुछ ज्यादा होता है।

वर्ष की परिकल्पना खगोलशास्त्र के अनुरूप है। इसलिए काल–गणना के लिए आवश्यक है

कल्प की परिकल्पना पौराणिक और ब्रह्माण्डोत्पत्ति से सम्बद्ध है और इस विश्वास पर आधारित है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अवसान ब्रह्मा द्वारा होते हैं। इन दोनों कालों के बीच का अंतर कल्प कहलाता है। इस पर सर्वप्रथम प्रकाश विष्णु पुराण में डाला गया है। वह इसकी सृष्टि से आरम्भ होता है। इसकी रचना के दो रूप हैं: 1. सर्ग अर्थात प्रकृति से ब्रह्मांड की उत्पत्ति और, 2. प्रति सर्ग अर्थात मूल तत्वों से हुआ आरम्भिक विकास अथवा अस्थाई विकृतियों के पश्चात पुर्नोदय। यह दोनों रचनाएं सावधिक हैं परन्तु ब्रह्मा के जीवन अवसान पर पहले का समापन हो जाता है जब न केवल देवतागण अपितु अन्य तत्व भी लुप्त हो जाते हैं। परन्तु ये तत्व पुनः मूल रूप में परिवर्तित होकर उभर जाते हैं। उनके साथ तब केवल सूक्ष्म तत्व बचता है, वह प्रति कल्प अथवा ब्रह्मा के दिन घटित होता है। इससे केवल क्षुद्र जीव और निम्न जगत प्रभावित होते हैं। ब्रह्मांड सार ऋषि और देवता गण अप्रभावित रहते हैं। यह कल्प की अवधारणा है।

मन्वंतर की अवधारणा यदि ऐतिहासिक भी नहीं तो पौराणिक तो है ही। इसका सूत्र है कि ब्रह्मा ने चराचर सृष्टि रची। परन्तु चर की वंश–वृद्धि नहीं हुई तब ब्रह्मा ने नौ मानस पुत्र उत्पन्न किए। परन्तु उनमें कोई आवेग नहीं था। मात्र पवित्र ज्ञान से अभिभूत थे, ब्रह्मांड से विरक्त और प्रजनन के अनिच्छुक। ब्रह्मा को यह देखकर क्षोम हुआ। तब ब्रह्मा ने स्वयं को प्रथम पुरुष मनु स्वायंभुव और प्रथम नारी शतरूपा में परिवर्तित किया। मनु स्वायंभुव ने शतरूपा का वरण किया। इस प्रकार प्रथम मन्वंतर आरम्भ हुआ जो स्वायंभुव मन्वंतर कहलाया। चौदह मन्वंतरों का विवरण इस प्रकार है।

''तब ब्रह्मा ने सृष्टि पालन हेतु स्वयं को मनु स्वायंभुव बना लिया, अपने वास्तविक रूप के समान अपने नारी भाग से शतरूपा रची, जिसे तपस्या द्वारा पाप से शुद्ध किया जिसे मनु ने अपनी पत्नी बनाया। इन दोनों से दो पुत्र जन्मे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। दो पुत्रियां थी प्रसूति और आकूति जो अति सुंदर थी। प्रसूति का विवाह दक्ष से और आकूति का रूचि प्रजापति से हुआ। आकूति से जुड़वां बच्चे उत्पन्न हुए यज्ञ और दक्षिणा जिन्होंने परस्पर विवाह कर लिया। (भाई–बहन के विवाह का एक और उदाहरण) उनसे बारह पुत्र उत्पन्न हुए। ये देवता स्वायंभुव मन्वंतर में यम कहलाए।

प्रथम मनु स्वायंभुव था फिर स्वारोचिष। इसके उपरांत क्रमशः औतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष। यह छै मनु काल कवलित हुए। सातवें, वर्तमान मन्वंतर का मनु सूर्यपत्र वैवस्वत है।''

''कल्प के आरंभ में स्वायंभुव मनु के समय का मैं वर्णन कर चुका हूं। उनके देवों, ऋषिगण, अन्य महापुरुषों जो उस समय विद्यमान थे उनके साथ। ''अब मैं स्वारोचिष मनु के पुत्रों, देवताओं और ऋषियों के विषय में बताता हूं। इस काल (द्वितीय मन्वंतर) के देवता थे, पारावत और तुषित उनका इन्द्र था ''विपश्चित। उनके सप्तर्षि थे ऊर्ज, स्तंभ, प्राण, दत्तोली ऋषभ, निश्चर और अर्वरीवट। मनु के पुत्र थे चैत्र और किंपुरूष।

तीसरे मन्वंतर के मनु थे औतमी उसके समय के इन्द्र थे, सुशांति, देवताओं के नाम है स्वधामा, सत्य, शिव प्रतर्दन और वसुवृति। प्रत्येक पांच वर्ग के बारह देवता थे। उस समय सप्तर्षि वशिष्ठ के सात पुत्र थे और अज, परसु, दिव्य तथा अन्य मनु के पुत्र थे।

चौथे मनु तामस के काल में पूजनीय देवता थे, हरि, सत्य और सुधि। प्रत्येक के सत्ताईस देवता थे। शिवी उस काल का इन्द्र था जिसे शत क्रतु भी कहा जाता है। इसने सौ यज्ञ किए थे। सप्तऋषि थे ज्योतिधाम, पृथु, काव्य, चैत्र, अग्नि, वानक, पिवर तामस मनु के पुत्र थे, नर, ख्याति, सांतहय, जनुजंघा आदि।

पांचवे मन्वंतर के मनु रैवत थे। उनका इन्द्र विभु था। देवता इस प्रकार थे अमिताभ, अभूतराजास, वैकुंठगण, सुमेधा। सप्तऋषि थेः हिरण्यरोम, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु, वेदबाहु, सुधमन, पर्जन्य और महामुनि। रैवत के पुत्र इस प्रकार थेः बालबंधु सुसम्भाव्य, सत्यक तथा अन्य साहसी राजा।

स्वारोचिष, औतमी, तामस और रैवत प्रियव्रत की संतान थे जिसने अपनी उपासना से विष्णु को प्रसन्न करके अपनी संतति के लिए मन्वंतरों का मनु बनाए जाने

का वर प्राप्त कर लिया था।

स्वारोचिष, औतमी, तामस और प्रियव्रत की संतान थे जिसने अपनी उपासना से विष्णु को प्रसन्न करके अपनी संतति के लिए मन्वंतरों का मनु बनाए जाने का वर प्राप्त कर लिया था।

''छठे मन्वंतर का मनु चाक्षुष था, उसका इन्द्र मनोज्व था उस काल के देवता थे आदय, प्रस्तुत, भव्य, पृथुग और लेखगण जिनके आठ और देव थे; उस काल के सप्तर्षि थे सुधामा, विरजा हविष्मान, उत्तम, मधुर, अतिमान, सहिष्णु। चाक्षुष के पुत्र थे उरु, शतद्युम्न आदि।''

वर्तमान सातवें मन्वंतर के मनु अन्त्येष्टि देव सूर्य की अनुपम संतान वैवस्वत हैंः उनके देवता है, आदित्य, वसु और रूद्र; उनका इन्द्र है पुरन्दर, सप्तर्षि हैं–वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज। वैवस्वत मनु के नौ पुत्र ओजस्वी हैं। इक्ष्वाकु नाभाग, ध्रष्ट, सन्मति, नरिश्यंत, नाभानिदिष्ट, करुष, प्रिषध्र और यशवी वसुमत।

अभी सात मन्वंतरों का विवरण दिया गया है जो विष्णु पुराण में उल्लिखित हैं। ये विष्णु पुराण लिखे जाने तक की स्थिति थी। क्या मन्वंतर शासन बाह्य था? इस विषय में ब्राह्मण मौन हैं। परन्तु विष्णु पुराण के लेखक को पता है कि सात मन्वतंर अभी और आने हैं। इनका विवरण इस प्रकार हैः

विश्वकर्मा की पुत्री संजना सूर्य की पत्नी थी। उसकी तीन संतानें मनु (वैवस्वत) यम और यमी (अथवा यमुना नदी) थी। अपने पति का तेज झेलने में असमर्थ संजना ने उसे सेविका के रूप में छाया दे दी और स्वयं उपासना के लिए वनों में चली गई। सूर्य ने छाया को अपनी पत्नी संजना जानकर उससे तीन संतान और उत्पन्न कीं, शनिश्चर, द्वितीय मनु (सावर्णी) और पुत्री ताप्ती। छाया को एक बार यम पर क्रोध आ गया, उसने उसे शाप दे दिया साथ यम को और सूर्य को यह भी बता दिया कि वह वास्तविक संजना नहीं है। छाया के बताने पर कि उसकी पत्नी जंगलों में चली गई है, सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि वह घोड़ी–रूप में तपस्या रत है (उत्तर कुरु प्रदेश में) सूर्य ने घोड़े के रूप में पुनर्जन्म लिया और अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और उससे तीन अन्य संताने उत्पन्न कीं, दो अश्विन और रेवंत और फिर संजना को घर ले आया। विश्वकर्मा ने नक्षत्र की गहनता कम करने के लिए उसकी दीप्ति घटाने के उद्देश्य से अपनी चक्री पर चढ़ाया और उसे घिसकर आठवां भाग कर दिया क्योंकि इससे अधिक अविभाज्य था। जो दैवी वैष्णव भव्यता सूर्य में थी, वह विश्वकर्मा के घिसने से धरती पर गिरी, शिल्पीश्रेष्ठ ने उससे विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर का शस्त्र और कार्तिकेय का वेलु बनाया और अन्य देवों के शस्त्र भी बनाए। विश्वकर्मा ने इन सबका निर्माण सूर्य की फालतू किरणों से किया।

छाया का पुत्र भी मनु कहलाया उसी वर्ण का होने के कारण उसका दूसरा नाम सावर्णी पड़ा जैसा कि उसके बड़े भाई मनु वैवस्वत का था। वह आठवें मन्वतंर का मनु है। अब मैं उसका विवरण निम्न बातों के साथ देता हूं। जिस काल में सावर्णी मनु बनेंगे, उनके देववर्ग इस प्रकार होंगे दीप्तिमान, गालव, राम; कृप, द्रोणि मेरा पुत्र व्यास छठा और ऋष्यऋंग सातवां ऋषि होगा। इस युग का इन्द्र बलि होगा। विरोचन का निष्पाप पुत्र विष्णु की कृपा से पाताल राज बनेगा। सावर्णी की संतानें होगीं। विराज, अर्वरीव, निर्मोह आदि।

नौवें मनु दक्ष सावर्णी होंगे। इस समय के देव होंगे पारस, मारीचि गर्भ और सुधर्मा। प्रत्येक वर्ग में बारह देव होंगे उनका प्रमुख इन्द्र होगा अभूत। सवन, द्युतिमान, भव्य, वसु, मेधातिथि ज्योतिषमान और सत्य, ये सप्तर्षि होंगे। धृतकेतु, द्रप्तिकेतु पंचहस्त, निर्मय, पृथुसर्व आदि मनु के पुत्र होंगे।

दसवें मन्वंतर में मनु, ब्रह्मा सावर्णी होंगे; उनके देवगण होंगे सुधामा, विरूद्ध शतसांख्य, उनका इन्द्र महातेजस्वी शांति होगा। सप्तऋषि होंगे हविष्मान, सुकृति, सत्य, अप्पममूर्ति, नाभाग, अप्रतिमजा और सत्यकेतु। मनु के दस पुत्र होंगे। सुक्षेत्र, उत्तमजा, हरिषेण आदि।

ग्यारहवें मन्वंतर का मनु धर्म सावर्णी होगा उसके समय प्रमुख देव होंगे विहंगम, कामागम और निर्माणरति; प्रत्येक की संख्या तीस होगी; इस मन्वंतर का इन्द्र वृष होगा। सप्तर्षि होंगे निश्चर, अग्नितेज व पुशमन, विष्णु, आरुणी, हविष्मान और अनघ पृथ्वी के स्वामी और मनु के पुत्र होंगे, सवर्ग, सर्वधर्म और देवानिक आदि।

बारहवें मन्वंतर में रूद्र का पुत्र सावर्णी मनु होगाः उस काल का इन्द्र होगा ऋतुधामा। देवों के नाम हैं हरितास, लोहितास, सुमन और सुकर्मा; प्रत्येक की संख्या पन्द्रह होगी। सप्तर्षि इस प्रकार होंगे। देव, उपदेव तथा देवश्रेष्ठ आदि।

तेरहवें मन्वंतर का रौच्य मनु होगा। देव वर्ग होगा, सुधमन, सुधर्मन और सुकर्मण; उनका इन्द्र दिवसपति होगा। सप्तर्षि होंगे निर्मोह, तत्वदर्शन निष्प्रकम्प, निरुत्सुक, धृतिमान, अव्यय और सुतप तथा, त्रिसेन, विचित्र तथा अन्य नृप होंगे।

भौत्य चौदहवें मन्वंतर का मनु होगा। शुचि उसका इन्द्र होगा। देवताओं के पांच वर्ग होंगे। चाक्षुष, पवित्र, कनिष्ठ, भ्रजीरास और वैवृद्ध। सप्तर्षि इस प्रकार होंगे। अग्निबाहु, शुचि, शुक्र, मागध, ग्रिधर, युक्त और अजित। मनु के पुत्रों के नाम होंगे उरु, गंभीर, गंभीरा, बृधन आदि जो इस धरा के शासक होंगे।''

मन्वंतर की योजना शायद इस इरादे से बनाई गई कि उस काल के लिए कोई सत्ता स्थापित की जा सके। प्रत्येक मन्वंतर में एक स्वामी मनु होता है। पूजा के लिए देव होते हैं, सात ऋषि और एक इन्द्र होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है –

''विभिन्न वर्गों के देवता और मनु के पुत्र अपने संबंधित मन्वंतरों में आहुतियां प्राप्त करते हैं और उनके वंशज उस काल में पृथ्वी के शासक होते हैं। प्रत्येक मन्वंतर के नियंता होते हैं मनु, सप्तऋषि देवता मनु के पुत्र और इन्द्र होते हैं''

परन्तु इसकी क्रम–योजना महायुग कहलाती है जो अत्यधिक जटिल मामला है।

कल्प को महायुग में क्यों विभक्त किया जाए और एक महायुग को चार युगों में क्यों विभाजित किया जाए, जिन्हें, कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग कहते हैं? यह एक पहेली है। यह पुराणों पर आधारित है और हिंदू इतिहास के वास्तविक प्रसंग से विलग है। ऐसा काल के साथ नहीं होता।

पहले तो यह पता नहीं चलता कि युग के समय को इतना असीम विस्तार क्यों दिया गया, जिससे पूरा क्रम मनगढंत और बनावटी लगता है?

ऋग्वेद में 'युग' शब्द का उपयोग 38 बार हुआ है। यह काल के रूप में प्रयुक्त हुआ है। साथ ही इसका अर्थ पीढ़ी, जुआ और आदिमजाति भी है। कुछ स्थानों पर यह बहुत संक्षिप्त समय के लिए हुआ है। बहुत से स्थानों पर ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत ही कम अवधि के अर्थ में लिया गया है। कभी–कभी तो युगे–युगे का अर्थ है प्रतिदिन।

दूसरी बात यह है कि चार युगों को सामाजिक नैतिकता के निरंतर पतन से जोड़ा गया है। महाभारत के निम्नांकित अंश से यह अवधारणा स्पष्ट प्रकट होती हैः

कृत ऐसा काल है जिसका सदाचार शाश्वत है। इस सर्वश्रेष्ठ युग में प्रत्येक कर्म सम्पन्न (कृत) हो जाता है और कुछ करने का शेष नहीं रह जाता। तब कर्तव्य निस्तेज नहीं होते थे। ना ही लोग उत्साहहीन होते थे। यद्यपि कालांतर में (समय के प्रभाव से) यह युग क्षुद्रता की ओर अग्रसर हुआ। उस समय न वहां देवता थे, न दानव, न गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ना ही पन्नगगण और ना ही क्रय–विक्रय होता था। वेद, साम, ऋज और यजुस में विभक्त नहीं थे, व्यक्ति प्रयास नहीं करते थे। फल सोचने से ही मिल जाते थे। धर्मपरायणता और सांसारिक त्याग विद्यामान था। आयु के प्रभाव ने न कोई रोग व्यापता था, न ही अंगों में क्षीणता आती थी। उस समय न दुर्भाव था, न विलाप, न दर्प, न प्रपंच, ना ही कोई विवाद था। वहां कोई अवसाद क्यों कर हो सकता था। तब न घृणा थी, न अत्याचार, भय, संताप, ईर्ष्या अथवा वैरभाव था। इस प्रकार परम ब्रह्म उन योगियों को ज्ञानातीत थे। तब सभी नारायण–सबकी आत्मा धवल थी। ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, सभी में कृत युग के गुण थे। उस समय ऐसे जीव जन्मे थे जो अपने कर्म के प्रति निष्ठावान थे। उनके उद्देश्य, विश्वास, कर्म और ज्ञान एक समान थे। उस काल में जातियां अपने कर्म के अनुसार कर्तव्य पालन करती थीं। सबको एक देवता पर अटल विश्वास था और मंत्र एक नियम और एक अनुष्ठान से आबद्ध थे यद्यपि उनके कार्य भिन्न–भिन्न थे। वेद एक ही था। एक ही कर्म करते थे। अपने–अपने लिए निर्धारित चारों कार्य में रत रहते थे, समय के पालक थे परन्तु निष्काम होकर परमात्मा का ध्यान लगाते थे। कृत युग में चारों वर्णों की यह अटल धर्मपरायणता उस युग का लक्षण था और वे परमात्मा में विलीन होते थे। कृत युग तीन गुणों से मुक्त था। अब त्रेता को जानें। इसमें यज्ञ होते थे। धर्मपरायणता का चतुर्धांश क्षीण हो गया। विष्णु का रंग लाल हो गया और जन–साधारण सत्य का पालन करता था और अनुष्ठानों पर निर्भर धर्माचरण करता था। तब बलि होती थी। पवित्र कर्म और विभिन्न अनुष्ठानों से। त्रेता में सामान्यजन कोई उद्देश्य जानकर कार्य करते थे। वे अनुष्ठानों और युद्धों से फल–प्राप्ति चाहते थे। तप–साधना से और कर्तव्य–बोध से उनका मन फिर गया था। इस युग में उनके अपने कार्यों धर्म–कर्म में निष्ठा थी। द्वापर में धर्म परायणता अर्धांश रह गयी थी। विष्णु पीतवर्ण हो गए और वेदों के चार अंग हो गए। कुछ चारों वेद पढ़ते थे, कुछ तीन ही, कुछ दो, कुछ एक ही, और कुछ तो एक भी नहीं। शास्त्र ऐसे बंट गए, अनुष्ठानों में विविधता आ गई। लोग तप–साधना करते। उपहार पाते और राजसी हो गए थे। किसी एक ही वेद में आस्था बन जाने से उनकी संख्या बढ़ी और सतोगुण की क्षीणता के कारण सत्य पर गिने–चुने लोग ही अटल थे। नर–नारियों से सद्गुण नष्ट हो गए, अनेक रोग, राग और विपत्तियां, उन्हें समय के साथ सताने लगी, जिनसे वे अत्यधिक त्रस्त हुए और साधना–मार्ग पर बढ़े। अन्य स्वर्गीय आनन्द की कामना करने लगे ओर यज्ञों का आयोजन किया। इस प्रकार जब द्वापर आया तो लोगों का धर्माचरण और गिरा। कलियुग में तो यह चतुर्थांश ही रह गया। इस अंधकार युग में विष्णु का रंग काला हो गया। वेद, व्यवहार, धर्मपरायणता, अनुष्ठान, आयोजन लुप्त होने लगे। विपदाएं, रोग, क्लांति, दोष जैसे क्रोधादि निराशा, चिंता, भूख, भय, विद्यमान थे। जैसे–जैसे युग बढ़ा धर्मपरायणता का क्षय होता गया। जब ऐसा हुआ तो मानव का ही ह्रास हुआ। जब वे ही रोगी थे, जो प्रेरणाएं उन्हें परिचालित करती थीं, वे भी विकृत हो गईं। युग के ह्रास के कारण जो प्रवृत्तियां विकसित हुईं, उनसे मानव के उद्देश्य विफल हो गए। ऐसा कलियुग है जो थोड़े समय रहा। जो चिरायु हैं, वे युग के अनुरूप ही चलते हैं''।

निःसंदेह यह आश्चर्यजनक है। इन बातों का प्राचीन वैदिक साहित्य में भी उल्लेख है। कृत, त्रेता, द्वापर और

अक्षंद शब्द ऐतरेय ब्राह्मण की तैत्तरीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में भी प्रयुक्त हुए हैं। शतपथ ब्राह्मणे का कथन है– ''कृत वह है जब खेल की गलतियों से लाभ मिलता है, त्रेता वह है जब कोई नियमित योजनानुसार खेलता है, द्वापर वह है जब कोई सामने वाले खिलाड़ी को पछाड़ने की चाल चलता है। अक्षंद का अर्थ है क्रीड़ास्थल का कीड़ा।'' ऐतरेय ब्राह्मण में कृत का अर्थ है जुआघर का स्वामी, त्रेता का अर्थ है–गलतियों से लाभ उठाना, द्वापर अर्थात बाहर बैठने वाला, कलि का अर्थ है, जो जुआघर को कभी नहीं त्यागता। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है:

''यहां प्रत्येक सफलता की आशा करता है, अभागी मृत्यु के लिए। कलि लेटा पड़ा है, अन्य दो शनैः शनैः चल रहे हैं। आधे गिर चुके हैं परन्तु सबसे सौभाग्यशाली कृत में पूरी गति है।'' यह स्पष्ट है कि ये सभी शब्द जुए के पासों के लिए हैं। मनु ने इनका किस प्रकार प्रयोग किया है? उसे भी देखा जाए। वे कहते हैं:

''कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग वे राजा के कार्यों के रूप हैं क्योंकि राजा युग कहलाता है। जब वह सोता है तो कलि है, गतिमान है तो द्वापर है, कार्योद्यत है तो त्रेता है, बढ़ता हुआ है तो कृत है।''

जब मनु की हम उनके पूर्ववर्तियों से तुलना करते हैं तो हमें स्वीकार करना पड़ता है कि इन शब्दों के भावार्थ में स्पष्ट अंतर आ गया। जो शब्द जुए की शब्दावली थी वह राजनीतिक बन गई, जिसमें राजा की कर्त्तव्य परायणता और ऐसे राजाओं की तुलना की गई, जो क्रियाशील हैं, जो कार्योच्छुक हैं, जो सचेत हैं और जो सोते रहते हैं। उनके लिए राज्य जाए भाड़ में।

प्रश्न यह है कि किन परिस्थितियों में ब्राह्मण कलियुग का सिद्धांत प्रतिपादित करने को विवश हुए? ब्राह्मणों ने कलियुग को पतित समाज का पर्याय क्यों बना डाला? मनु ने एक सोते हुए राजा को कलिराज क्यों कहा? मनु के समय कौन राजा था? उसे सोता हुआ राजा क्यों कहा गया? ऐसी कुछ पहेलियां हैं जो कलियुग सिद्धांत से उत्पन्न होती हैं।

कलियुग संबंधी अन्य पहले भी हैं। एक हैं कलियुग वास्तव में कब आरंभ हुआ?

कलियुग कब आरंभ हुआ, उसके समय के संबंध में कई सिद्धांत हैं? पुराणों ने दो तिथियां दी हैं। कुछ के अनुसार यह ईसा पूर्ण चौदहवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। कुछ का कथन है कि यह ई. पू. 18 फरवरी, 3102 से आरम्भ होता है, जब कौरव–पाण्डवों के बीच युद्ध की शुरूआत बताई जाती है। प्रो. अयंगर ने कहा है कि ऐसे कोई प्रमाण नहीं हैं कि जिनसे यह प्रकट होता हो कि ईसवी की सातवीं शताब्दी के पूर्व कलियुग का कोई उल्लेख हुआ हो। सर्वप्रथम इसका प्रयोग पुलकेशिन द्वितीय के काल के एक लेख में हुआ है, जिसमें 610 से 642 ईसवीं तक बादामी पर शासन किया। इसमें दो तिथियां हैं, शक संवत् 556 और कलि संवत् 37351 इन तिथियों से कलियुग का आरम्भ 3102 ईसवी पूर्व बैठता है। यह गलत है कि ई० पू० 3102 न तो महाभारत–युद्ध की तिथि है और ना ही कलि के आरम्भ की। श्री काणे ने यह अंतिम रूप से प्रमाणित कर दिया है। विभिन्न वंशों के उन राजाओं के विषय में, जिन्होंने पाण्डव–पुत्र परीक्षित के काल में शासन किया, सबसे पक्का कथन यह है कि महाभारत की तिथि ई० पू० 1263 थीं। यह ई० पू० 3102 नहीं हो सकती। श्री काणे ने यह भी कहा है कि ई० पू० 3102 कल्प के आरम्भ की तिथि है, कलि के आरम्भ की नहीं। इस आलेख में कालपदी को कल्यादि पढ़ लिया गया। इस प्रकार कोई निश्चित तिथि नहीं है, जिसे ब्राह्मण कलि का आरम्भ कह सकें। एक निश्चित तिथि होनी चाहिए थी जिससे इतनी बड़ी घटना की शुरूआत बताई जाती। यह पहेली है।

परन्तु और भी पहेलियां हैं, जो इस प्रकार हैं:

दो ढकोसले कलियुग के संबंध में हैं। ब्राह्मणों ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया है कि कलियुग में दो ही वर्ण हैं, ब्राह्मण और शूद्र। उनका कहना है कि क्षत्रिय और वैश्य का अस्तित्व नहीं है। इस मान्यता का आधार क्या है? इसका अर्थ क्या है? क्या वे दो वर्ण ब्राह्मणों में विलीन हो गए या उनका अस्तित्व नहीं है?

भारतीय इतिहास का वह कौन सा काल है जब यह मान्यता आरम्भ हुई?

क्या इसका अर्थ है कि इन दोनों वर्णों का ब्राह्मण में विलीन होना कलियुग का आरंभ है?

कलियुग का संबंध में दूसरी मान्यता है कि वर्ज्य; जिसका अर्थ है, कलियुग में किन कार्यों का निषेध है। विभिन्न पुराणों में यत्र–तत्र उनका प्रसंग है। परन्तु आदित्य पुराण में उनको संहिताबद्ध किया गया है और संग्रहीत कर दिया गया है। कलि वर्ज्य के अन्तर्गत जो व्यवहार में आता है, वह निम्नांकित है:

''1. विधवा से पुत्र उत्पन्न करने हेतु जेठ की नियुक्ति।''

''2. किसी (विवाहित) स्त्री के पति की मृत्यु के बाद उसका पुनर्विवाह (जिसके साथ सहवास न हुआ हो) और (जिसके साथ सहवास हो चुका हो)।''

''3. तीनों द्विज वर्णों के बीच अन्य वर्ण की कन्या से विवाह।''

''4. आततायी ब्राह्मण का सीधे युद्ध में भी वध।

''5. किसी द्विज से व्यवहार (उसके साथ खान–पान जैसा व्यवहार) जो समुद्रयात्रा पर जाता है, चाहे उसने प्रायश्चित भी क्यों न कर लिया हो।''

''6. सात्र का उपनयन करना।''

''7. कमण्डल लेकर चलना।''

''8. महायात्रा पर जाना।''

''9. गोमेध में गाय की बलि।''

''10. श्रौतमणि यज्ञ तक में मद्यपान।''

''11–12. अग्निहोत्र के पश्चात पुनः प्रयोग हेतु उसमें प्रयुक्त कलछी को चाटना।

''13. शास्त्रानुसार वैखानस जीवनयापन।''

''14. (जन्म और मृत्यु होने पर) व्यवहार और वैदिक ज्ञान के आधार पर अशुचिता की अवधि घटाना।

''15. प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मण की मौत का विधान।''

''16. नैतिक पाप (स्वर्ण) चोरी को छोड़कर और पापियों (महापातकों) के साथ सम्पर्क होने पर (गुप्त) प्रायश्चित।''

''17. वर, अतिथि और पितरों को मंत्रों के साथ मांस की भेंट।''

''18. औरत तथा दत्तक पुत्र के अतिरिक्त अन्य को पुत्रों के रूप में स्वीकार करना।''

''19. उन व्यक्तियों के साथ प्रायश्चित के उपरांत भी सम्पर्क जिन्होंने उच्च जाति की महिला के साथ संभोग किया है।

''20. यदि किसी वृद्ध अथवा सम्भावित व्यक्ति की पत्नी ने परपुरुष से संभोग किया है और उसके लिए वह प्रताड़ित की गई है उसका परित्याग।''

''21. किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे का वध।''

''22. जूठन छोड़ना।''

''23. जीवन के लिए (पैसा लेकर) किसी देवता विशेष की मूर्ति की पूजा का संकल्प।''

''24. मृत्यु संबंधी अशुचिता के अधीन फूल चुनने के पश्चात उन व्यक्तियों का स्पर्श।

''25. ब्राह्मण द्वारा पशु की वास्तविक बलि।''

''26. ब्राह्मण द्वारा सोम पौधे का विक्रय।''

''27. समय तक भूखा रहने के उपरांत ब्राह्मण का शूद्र से भोजन ग्रहण करना।''

''28. (ब्राह्मण) गृहस्थ का अपने शूद्र वर्ण के दास के हाथ से बना भोजन ग्रहण करना, गोशाला में और उन व्यक्तियों के हाथ का भोजन करना जो उसकी बटाई पर खेती करते हैं।

''29. बहुत लम्बी दूरी की तीर्थयात्रा पर जाना।''

''30. गुरुपत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार जैसा स्मृतियों में गुरु के लिए निर्धारित है।''

''31. ब्राह्मण द्वारा विपरीत परिस्थितियों में जीवनयापन के लिए कल के लिए भोजन की परवाह न करना।''

''32. जातकर्म होम के समय ब्राह्मण द्वारा अरनी स्वीकार करना जिसके अनुसार शिशु के जातकर्म से उसके पाणिग्रहण तक के संस्कार कराने का कार्यक्रम हो।''

''33. ब्राह्मण द्वारा सतत् यात्रा।''

''34. बांस की फूंकनी के बिना आग में फूंक मारना।''

''35. शास्त्रों में वर्णित प्रायश्चित के पश्चात भी किसी ऐसी स्त्री को जाति में सम्मिलित होने की स्वीकृति देना, जो बलात्कार से कलंकित हो चुकी हो।''

''36. संन्यासी द्वारा सभी वर्णों (शूद्रों सहित) से भोजन की भिक्षा ग्रहण करना।''

''37. जमीन से निकाले जाने वाले जल का पान करने हेतु दस दिन तक प्रतीक्षा।''

''38. अध्यापक को दीक्षांत पर (मांगने पर) शास्त्रानुसार दक्षिणा।

''39. ब्राह्मण और अन्यों के लिए शूद्रों से भोजन बनवाना।

''40. वृद्धों द्वारा चट्टान से अथवा आग में कूद कर आत्महत्या।''

''41. जूठे पानी का सम्मानित व्यक्तियों द्वारा आचमन, चाहे वह गाय का ही झूठा क्यों न हो।

''42. पिता और पुत्र के बीच विवाद।''

''43. संन्यासी जहां रात हो जाए, वहीं शयन करें।

इस कलिवर्ज्य संहित की सबसे अजीब बात यह है कि इसके महत्व को पूरी तरह समझा नहीं गया। इसका उल्लेख केवल इसी रूप में किया जाता है कि यह एक उन व्यवहारों की सूची है, जिन पर कलियुग में प्रतिबंध है। परंतु इन निषेधों की सूची से भी आगे कुछ और है। निःसंदेह कलिवर्ज्य संहिता में वर्णित सूची के व्यवहार प्रतिबंधित है। बहरहाल प्रश्न है कि क्या ये व्यवहार अनैतिक और निंदित हैं, पाप है या किसी दृष्टि से समाज के लिए हानिकर हैं? इसका उत्तर है नहीं। हम यह जानना चाहेंगे कि यदि यह प्रतिबंध लगाए गए हैं तो क्या वे निंदित कार्य हैं? कलिवर्ज्य संहिता की यही सबसे गूढ़ पहेली है। किसी व्यवहार को निंदित घोषित किए बिना प्रतिबंधित करना पूर्व युगीन परम्पराओं का एक विरोधाभास है। एक उदाहरण है। आपस्तंब धर्म सूत्र ने ज्येष्ठतम पुत्र को ही सारी सम्पत्ति देने के व्यवहार को प्रतिबंधित किया। लेकिन इसकी भी निंदा की। ब्राह्मणों ने यह क्या तरीका खोज निकाला कि किसी बात पर प्रतिबंध तो लगा दें परंतु उसकी निंदा न करें? इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए? वह कौन–सा कारण है?

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–8, पेज संख्या 308 से 323 तक
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

अस्पृश्यता–उसका स्त्रोत

ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अस्पृश्यों की दयनीय स्थिति से दुखी हो यह चिल्लाकर अपना जी हल्का करते फिरते हैं कि हमें अस्पृश्यों के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन इस समस्या को जो लोग हल करना चाहते हैं, उनमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो यह कहता हो कि 'हमें स्पृश्य हिंदुओं को बदलने के लिए भी कुछ करना चाहिए।' यह धारणा बनी हुई है कि अगर किसी का सुधार होना है तो वह अस्पृश्यों का ही होना है। अगर कुछ किया जाना है तो वह अस्पृश्यों के प्रति किया जाना है और अगर अस्पृश्यों को सुधार दिया जाए, तब अस्पृश्यता की भावना मिट जाएगी। सवर्णों के बारे में कुछ भी नहीं किया जाना है। उनकी भावनाएं, आचार–विचार और आदर्श उच्च हैं। वे पूर्ण हैं, उनमें कहीं भी कोई खोट नहीं है। क्या यह धारणा उचित है? यह धारणा उचित हो या अनुचित, लेकिन हिंदू इसमें कोई परिवर्तन नहीं चाहते? उन्हें इस धारणा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे इस बात से आश्वस्त हैं कि वे अस्पृश्यों की समस्या के लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं है।

यह मनोवृत्ति कितनी स्वभाव अनुरूप है, इसे यहूदियों के प्रति ईसाइयों की मनोवृत्ति का उदाहरण देकर स्पष्ट किया जा सकता है। हिंदुओं की तरह ईसाई भी यह नहीं मानते कि यहूदियों की समस्या असल में ईसाइयों की समस्या है। इस विषय पर लुइस गोल्डिंग की टिप्पणी इस स्थिति को और अधिक स्पष्ट करती है। यहूदियों की समस्या असलियत में किस तरह ईसाइयों की समस्या है, इसे बताते हुए वह कहते हैं :

''जिस अर्थ में मैं यहूदियों की समस्या को असलियत में ईसाई समस्या समझता हूं, उसको स्पष्ट करने के लिए बहुत ही सीधी–सी मिसाल देता हूं। मेरे ध्यान में मिश्रित जाति का एक आयरिश शिकारी कुत्ता आ रहा है। इसे मैं बहुत दिनों से देखता आया हूं। यह मेरे दोस्त जॉन स्मिथ का कुत्ता है, नाम है पैडी। वह इसे बेहद प्यार करते हैं। पैडी को स्कॉच शिकारी कुत्ते नापसंद हैं। इस जाति का कोई कुत्ता उसके आस–पास बीस गज दूर से भी नहीं निकल सकता और कोई दिख भी जाता है तो वह भूंक–भूंककर आसमान सिर पर उठा लेता है। उसकी यह बात जॉन स्मिथ को बेहद बुरी लगती है और वह उसे चुप करने का हर संभव प्रयत्न भी करते हैं, क्योंकि पैडी जिन कुत्तों से नफरत करता है, वे बेचारे चुपचाप रहते हैं, और कभी भी पहले नहीं भूंकते। मेरा दोस्त, हालांकि पैडी को बहुत प्यार करता है, तो भी वह यह सोचता है, और जैसा कि मैं भी सोचता हूं, कि पैडी की यह आदत बहुत कुछ उसके किसी जाति–विशेष होने पर उसके स्वभाव के कारण है। हमसे किसी ने यह नहीं कहा कि यहां जो समस्या है, वह स्कॉच शिकारी कुत्ते की समस्या है और जब पैडी अपने पास के किसी कुत्ते पर झपटता है जो बेचारा टट्टी–पेशाब वगैरह के लिए जमीन सूंघ–सांघ रहा होता है, तब उसे कुत्ते को क्या इसलिए मारना–पीटना चाहिए कि वह वहां अपने अस्तित्व के कारण पैडी को हमला करने के लिए उकसा देता है।

हम देखते हैं कि यहूदी समस्या और अस्पृश्यों की समस्या एक जैसी है। स्कॉच शिकारी कुत्ते के लिए जैसा पैडी है, यहूदियों के लिए वैसा कोई ईसाई है और वैसा ही अस्पृश्यों के लिए कोई हिंदू है। किंतु एक बात में यहूदियों की समस्या और ईसाई समस्या एक–दूसरे की विरोधी हैं। यहूदी और ईसाई अपनी प्रजाति के एक–दूसरे के शत्रु होने के कारण एक–दूसरे से अलग कर दिए गए हैं। यहूदी प्रजाति ईसाई प्रजाति के विरूद्ध है। हिंदू और अस्पृश्य इस प्रकार की शत्रुता के कारण एक–दूसरे से अलग नहीं हैं। उनकी एक ही प्रजाति है और उनके एक जैसे रीति–रिवाज हैं।

दूसरी बात यह है कि यहूदी, ईसाइयों से अलग–अलग रहना चाहते हैं। इन दो तथ्यों में से पहले तथ्य अर्थात यहूदियों और ईसाइयों में वैर–भाव का आधार यहूदियों की अपनी प्रजाति के प्रति कट्टर भावना है और दूसरा तथ्य ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित लगता है। प्राचीन–काल में ईसाइयों ने यहूदियों को अपने साथ मिलाने के कई प्रयत्न किए, लेकिन यहूदियों ने इसका सदा प्रतिरोध किया। इस संबंध में दो घटनाएं उल्लेखनीय हैं–

पहली घटना नेपोलियन के शासन–काल की है। जब फ्रांस की राष्ट्रीय असेम्बली इस बात के लिए सहमत हो गई कि यहूदियों के लिए 'मानव के अधिकार' घोषित किए जाएं, तब अलसाके के व्यापारी संघ और प्रतिक्रियावादी पुरोहितों ने यहूदी प्रश्न को फिर उठाया। इस पर नेपोलियन ने इस प्रश्न को यहूदियों को उनके द्वारा ही विचार करने के लिए सौंपने का निर्णय किया। उसने फ्रांस, जर्मनी और इटली के प्रमुख यहूदी नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया ताकि इस बात पर विचार किया जा सके कि क्या यहूदी धर्म के सिद्धांत, नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के अनुरूप हैं अथवा नहीं। नेपोलियन यहूदियों को बहुसंख्यकों के साथ मिला देना चाहता था। इस सम्मेलन में एक सौ ग्यारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन 25 जुलाई 1806 को पेरिस के टाउन हाल में हुआ, जिसमें बारह प्रश्न विचारार्थ रखे गए थे। ये प्रश्न मुख्य रूप से यहूदियों में देश–भक्ति की भावना, यहूदियों और गैर–यहूदियों के बीच विवाह होने की संभावना और इसकी कानूनी मान्यता से संबंधित थे। सम्मेलन में जो घोषणा की गई, उससे नेपालियन इतना प्रसन्न हुआ कि उसने येरूस्लम की प्राचीन परिषद के आधार पर यहूदियों की एक सर्वोच्च न्याय परिषद् (सैनहेड्रिन) का आयोजन किया। उसने इसे विधान सभा का कानूनी दर्जा देना चाहा। इसमें फ्रांस, जर्मनी, हालैंड और इटली के इकहत्तर प्रतिनिधि शामिल हुए। इसकी अध्यक्षता स्ट्रासबर्ग के रब्बी सिनजेइम ने की। इसकी बैठक 9 फरवरी 1807 को हुई और इसमें एक घोषणा–पत्र स्वीकार किया गया, जिसमें इस बात के लिए सभी यहूदियों का आवाहन किया गया कि वे फ्रांस को अपने पूवजों का निवास मान लें, इस देश के सभी निवासियों को अपना भाई समझें और यहां की भाषा बोलें। इसमें यहूदियों और ईसाइयों के बीच विवाह–संबंध उदार भाव से ग्रहण करने का भी अनुरोध किया गया, लेकिन इस घोषणा–पत्र में यह भी कहा गया कि ये विवाह–संबंध यहूदियों की धार्मिक महासभा द्वारा नहीं स्वीकृत किए जा सके। यहां यह उल्लेखनीय है कि यहूदियों ने अपने गैर–यहूदियों के साथ विवाह–संबंध होने की स्वीकृति नहीं दी। उन्होंने इन संबंधों के विरूद्ध कुछ भी कार्रवाई न करने के बारे में सहमति मात्र दी थी।

दूसरी घटना तब की है, जब बटाविया गणराज्य की स्थापना 1795 में हुई थी। इसमें यहूदी संप्रदाय के अति–उत्साही सदस्यों ने इस बात पर दबाव डाला कि उन ढेर सारे प्रतिबंधों को समाप्त किया जाए, जिनसे यहूदी पीड़ित हैं। किंतु प्रगतिशील यहूदियों ने नागरिकता के पूर्ण अधिकार की जो मांग की थी, उसका एम्सटर्डम में रहने वाले यहूदियों के नेताओं ने पहले तो विरोध किया जो काफी आश्चर्य की बात थी। उनको आशंका थी कि नागरिक समानता होने से यहूदी धर्म की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और उन्होंने घोषणा की कि उनके सहधर्मी अपने नागरिक होने के अधिकार का परित्याग करते हैं, क्योंकि इससे उनके धर्म के निर्देशों के अनुपालन में बाधा पहुंचती है। इससे स्पष्ट है कि वहां के यहूदियों ने उस गणराज्य के सामान्य नागरिक के रूप में रहने की अपेक्षा विदेशी के रूप में रहना अधिक पसंद किया था।

ईसाइयों के स्पष्टीकरण का चाहे जो भी अर्थ समझा जाए, इतना तो स्पष्ट है कि उन्हें कम से कम इस बात का तो एहसास रहा है कि उनका यह प्रमाणित करना एक दायित्व है कि यहूदियों के प्रति उनका व्यवहार गैर–मानवीय नहीं रहा है। परंतु हिंदुओं ने अस्पृश्यों के साथ अपने व्यवहार के औचित्य को प्रमाणित करने की बात तो कभी सोची ही नहीं। हिंदुओं का दायित्व तो बहुत बड़ा है, क्योंकि उनके पास कोई वास्तविक कारण है ही नहीं, जिसके अनुसार वे अस्पृश्या को उचित ठहरा सकें। वे यह नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति समाज में इसलिए अस्पृश्य है, क्योंकि वह कोढ़ी है या वह घिनौना लगता है। वे यह भी नहीं कह सकते कि उनके और अस्पृश्यों के बीच में कोई धार्मिक वैर है, जिसकी खाई को पाटा नहीं जा सकता। वे यह तर्क भी नहीं दे सकते कि अस्पृश्य स्वयं हिंदुओं में घुलना–मिलना नहीं चाहते।

लेकिन अस्पृश्यों के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वे अर्थ में अनादि हैं और शेष से विभक्त हैं। लेकिन यह पृथकता, उनका पृथग्वास उनकी इच्छा का परिणाम नहीं है। उनको इसलिए दंडित नहीं किया जाता कि वे घुलना–मिलना नहीं चाहते। उन्हें इसलिए दंडित किया जाता है कि वे हिंदुओं में घुल–मिल जाना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि हालांकि यहूदियों और अस्पृश्यों की समस्या एक जैसी है क्योंकि यह समस्या दूसरों की पैदा की हुई है, तो भी वह मूलतः भिन्न है। यहूदी की समस्या स्वेच्छा से अलग रहने की है। अस्पृश्यों की समस्या यह है कि उन्हें अनिवार्य रूप से अलग कर दिया गया है। अस्पृश्यता एक मजबूरी है, पसंद नहीं।

साभार – बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–9
(पृ.सं. 17 से 20 तक)

पत्रकारों द्वारा अजय पत्रकार जी का सम्मान

अजय पत्रकार जो लगभग 30 वर्षों से लगातार मास काम एण्ड जनलिज्म विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाते है। अजय जी के काफी स्टूडेंट्स देश के प्रमुख शहरों के चैनल व समाचार पत्रों में है। देश की सबसे पहली केवल न्यूज बनाने वालों में अजय पत्रकार व श्री श्री मुधकर पांडेय (फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया) का नाम आता है। जी टीवी नेटवर्क के प्रमुख सिटी चैनल की न्यूज अजय पत्रकार व आई आई टी के व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जन्मदाता श्री श्री मधुकर पांडेय जी ने बनाई थी। भारतीय विद्या भवन, महाराणा प्रताप व रामा मंधना तथा माखनलाल चतुर्वेदी, पंजाब टेक्निकल विश्वविद्यालय व अन्य तमाम विश्वविद्यालयों में कई वर्षों से अजय जी फैक्लटी है व पत्रकारिता पढ़ाते है। देश में सबसे पहले गंगा में बहती लाशों व प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय बहुचर्चित व बहुलोकप्रिय तथा भारत को काफी अनुदान दिलाने वाली वीडियो न्यूज फिल्म ''परिक्रमा'' बनाने वाले श्री श्री मधुकर पांडेय जी को अजय अपना सच्चा गुरु मानते है।

पिछले 38 सालों से पत्रकारिता में अजय जी द्वारा की गई निस्वार्थ, निष्पक्ष, ईमानदारी व निडरता के साथ की गई सेवाओं के लिए उन्हें सम्मानित किया गया।

कानपुर देहात, पत्रकारों के सत्याग्रह लगातार माती मुख्यालय में जारी रहा ..

पत्रकारों का जनहित की लड़ाई में चल रहा सत्याग्रह सफल हुआ प्रशासन ने मांगे मानी

स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्टाचार को लेकर 8 सूत्री मांगों को पूरा करवाने के लिए पत्रकार हैं आंदोलनरत.....

माती, कानपुर देहात.... जिले के स्वास्थ्य विभाग की तमाम समस्याओं, भ्रष्टाचार तथा जिला अस्पताल अकबरपुर बना रिफर सेंटर आदि तथा भ्रष्टाचारी लोगों द्वारा पत्रकारों पर झूठे मुकदमे लिखाने के प्रयासों को रोके जाने आदि से संबंधित 8 मांगों को लेकर पिछले 18 अक्टूबर से जिला प्रेस क्लब के बैनर तले पत्रकारों का आंदोलन जारी है.....

आंदोलन धरना सत्याग्रह स्थल पर बृजेंद्र गुप्ता और जिला अध्यक्ष विजय शंकर कौशल बराबर बैठे हैं जनपद के तमाम जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन सहयोग देने का वादा कर चुके हैं तथा दीपक सिंह चौहान लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं .....

आश्चर्यजनक है कि तमाम पत्र व्यवहार के बाद भी शासन प्रशासन पत्रकारों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा है.....

शनिवार दोपहर कानपुर के पत्रकारों ने द्रविड़ भारत समाचार पत्र की संपादक उमेश्वरी देवी के नेतृत्व में आकर पत्रकारों का मनोबल बढ़ाया उन्होंने कहा कि हम जिलाधिकारी कमिश्नर और मुख्यमंत्री से मिलकर समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए प्रयास करूंगी, धरने के दौरान नौशाद बाबू, राम अवतार कानपुर के पत्रकार रोहित शर्मा, जीवन कुमार, के. के. शर्मा, कृष्ण कुमार आदि दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु

इलायापेरुमल कमेटी (1969) की संस्तुति को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने प्रशिक्षण एवं रोजगार महानिदेशालय, डी.जी.ई. एण्ड टी.के. अधीन देश के राज्यों में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु अध्यापन एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों के स्थापना की है। इसी क्रम में वर्ष 1970 ये यह केन्द्र कानपुर में अनुसूचित जाति/जनजाति की सेवा में कार्यरत है।

उद्देश्य :

1. शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के बेरोजगार अभ्यर्थियो के सही मार्गदर्शन देते हुए सही दिशा निर्देशन उपलब्ध कराना।
2. अध्यापन एवं प्रशिक्षण के द्वारा बेरोजगार अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों को रोजगार पाने की क्षमता में वृद्धि करना।
3. अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यार्थियों के रोजगार बाजार की सूचना देना एवं रोजगार प्राप्त करने में अनेक कार्यक्रमों द्वारा विविध स्तर पर उनकी सहायता करना।

रा0 आ0 से0 के0 कानपुर की गतिविधियाँ

पंजीयन पूर्व मार्गदर्शन • सम्प्रेषण पूर्व मार्गदर्शन • साक्षात्कार पूर्व मार्गदर्शन • सामूहिक पूर्व मार्गदर्शन • व्यक्तिगत/सूचना मार्गदर्शन आत्मविश्वास कार्यक्रम • पुनरीक्षण कार्यक्रम • व्यवसायिक सूचना • प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण। • टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण • कर्मचारी चयन आयोग एवं अन्य समूह ''ग'' परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष कम्प्यूटर ऑपरेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम • प्रशिक्षण योजना • ओ लेवल कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर • ओ लेवल कम्प्यूटर हाईवेयर मेंटिनेंस • स्व–रोजगार • उच्च शिक्षा के साथ में भविष्यी नियोजन हेतु परामर्श • कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम • साक्षात्कार कला • अभिभावकों से विचार विमर्श • रोजगार सम्बन्धी अन्य समस्यायें।

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

National Career Service
सही अवसर, सही समय
Right Opportunities, Right Time

नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर फॉर एस.सी./एस.टी.
जी. टी. रोड, कानपुर

राज कुमार
उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
रा० आ० से० के०
मो० : 7988193472

e-mail: sreoknp@gmail.com
Ph. No. 0512-2242222

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय
राष्ट्रीय आजीविका सेवा केन्द्र (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु)
प्रादेशिक सेवायोजन कार्यालय परिसर
जी0टी0 रोड, कानपुर-208005
****

निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु प्रवेश सूचना

क्रम सं0	कोर्स/अवधि	न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	आयु	छात्रवृत्ति/अन्य
01	ओ लेवल कम्प्युटर सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण (NIELIT से) 01 वर्षीय	इण्टरमीडिएट	18-30	निःशुल्क किताबें/लेखन सामग्री+1000 छात्रवृत्ति प्रति माह
02	ओ लेवल कम्प्युटर हार्डवेयर मेंटिनेंस प्रशिक्षण (CHM) (NIELIT से)-01 वर्षीय	इण्टरमीडिएट (विज्ञान)/ITI	18-30	उपरोक्त
03	विशेष प्रशिक्षण योजना (11 माह) लिपिकीय वर्ग भर्ती परीक्षा तैयारी	इण्टरमीडिएट	18-27	उपरोक्त

नोट- पूर्ण विवरण एवं निःशुल्क आवेदन-पत्र प्राप्त करने हेतु इस केन्द्र में कार्यालय दिवस में सम्पर्क करें।

(राज कुमार)
उप क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी

भारत में महिला विकास की सच्चाई

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

महिला विकास एवं उनके अधिकारों के संदर्भ में हमने कानून एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से देखा। परंतु आज महिला अधिकारों की सुरक्षा कितनी हो रही है। महिलाएं कितनी सुरक्षित एवं संरक्षित है इसका सच भी हमें समाज में दिखाई पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों दिल्ली में दामिनी रेप एंड मर्डर केस में हमने देखा कि सरकारें कितनी असम्वेदनशील हो गई है। उसका ज्यादा जोर अपराधियों को सजा दिलाने में नहीं सजा दिलाने की मांग कर रहे लोगों को दबा देने में था। समाज और सरकार की यह असम्वेदनशीलता कितनी घातक होगी यह तो भविष्य ही जानता है। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है और प्रतीक्षा है अपराधियों को सजा मिलने की।

महिलाओं के कल्याण के लिए गणित अधिकांश योजनाएं कागज में चल रही हैं। कानूनों का पालन नहीं हो पा रहा है। न्याय के लिए पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, फिर भी न्याय यदि मिलता भी है तो तब मिलता है जब एक जिंदगी बीत जाती है। सरकारें कानून बनाकर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री कर लेती हैं। समाज निर्लिप्त भाव से देखता रहता है। यदि कुछेक मामलों में आंदोलन होते भी है तो वे या तो सरकार द्वारा दबा दिए जाते हैं अथवा अपनी मौत स्वयं मर जाते हैं। गांवों के महिलाओं की हालत तो और भी बुरी है, उनके लिए जैसे कोई कानून ही नहीं। कहां जाएं, किससे शिकायत करें। ऐसे में हमें देखना ही होगा कि महिला अधिकारों का वास्तविक सच क्या है। मैं घर से बाहर ही नहीं, बल्कि घर के भीतर भी प्रायः महिला विकास, महिला सशक्तिकरण व महिला अधिकारों की बातें करता रहता हूं। मेरी पत्नी ने एक दिन प्रश्न किया– ''आप इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हो, मैं आज आपसे पूछती हूं कि भारत में महिला विकास की सच्चाई क्या है? हां, मैं असली तस्वीर देखना चाहती हूं, नकली मत दिखाना।''

मैं आश्चर्य से पूछा– ''तुम्हें क्या लगता है क्या भारत में महिला विकास नहीं हो रहा?''

वह कहने लगी– ''हो रहा होगा, लेकिन धरातल पर होता दिखाई नहीं दे रहा।'' मैं सन्न रह गया। कहने लगा– ''समूचे विश्व में महिलाओं की स्थिति में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं बढ़–चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और सफल भी हो रही हैं। बात चाहे राजनीति की हो, व्यवसाय की हो, मीडिया की हो, उद्योग की हो, इंजीनियरिंग की हो, चिकित्सा की हो, अंतरिक्ष की हो या वैज्ञानिक शोध की। जीवन का कोई भी तो ऐसा क्षेत्र नहीं बचा, जिसमें महिलाओं ने प्रभावी उपस्थिति दर्ज न करवा दी हो।''

वह मेरी बात से संतुष्ट नहीं हुई। उसने कहा–''यह सच तो है, लेकिन पूरा सच नहीं है। यह तस्वीर का उजला पक्ष है और वह भी छोटा–सा। केवल इस आधार पर कि महानगरों और बड़े शहरों में महिलाएं अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करवा रही है, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति सुधर गई है और वे विकसित हो गई है।''

मैंने बहस करनी चाही तो वह मुझे रोककर बोली–''स्त्रियों की सही दशा देखनी है तो गांवों में जाओ, मलिन बस्तियों में जाओ, मध्यम दर्जे के परिवारों में जाओ। असली भारत यहीं रहता है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बैंगलोर आदि की महिलाएं सारे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं करती। देश की तीन चौथाई आबादी गांवों में रहती है तो तीन चौथाई महिलाएं भी गांवों में ही रहती हैं। उनमें से शायद ही कोई अखबार पढ़ती होगी। शायद ही किसी को सरकारी योजनाओं का ज्ञान होगा। ज्यादातर को तो पशुओं का गोबर उठाने, बच्चे पालने और खेतों में काम करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं।''

मैंने बहस में हारना ठीक नहीं समझा, इसलिए कहने लगा–''माता–पिता की सम्पत्ति में बेटियों को बेटों के समान हिस्सा मिलने लगा है। क्योंकि नाबालिग विवाहित लड़कियां समाज में ज्यादा योगदान नहीं दे सकतीं, इसलिए उनकी शादी की उम्र 18 साल कर दी गई है। महिला उत्पीड़न के मामले रोकने के लिए कानूनों में व्यापक संशोधन किए गए हैं। दहेज लेने व देने को अपराध माना गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इतनी योजनाएं चलाई गई हैं।''

वह भी बहस में कहां हारने वाली थी। उसने कहा–''क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि विकास की कुछ शर्तें होती हैं। पहली शर्त होती है शिक्षा। भारत में साक्षरता की दर उतनी तेजी से नहीं बढ़ पा रही, जितनी बढ़नी चाहिए। लगभग एक तिहाई महिलाओं के लिए आज भी काला अक्षर भैंस बराबर है। दूसरी शर्त होती है लिंगानुपात, जिसका दिवाला पिटा पड़ा है। सरकारें लाख कोशिश करके भी कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लगा पा रहीं। लाखों लड़कियों को आज भी जन्म से पहले मार डाला जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि अधिकांश विकसित देश में लिंगानुपात बराबर होने में बरसों लग जाएंगे। शर्म की बात तो यह है कि जो भारत के विकसित राज्य हैं, जैसे पंजाब व हरियाणा, इनमें लिंगानुपात की हालत ज्यादा चिंतनीय है।

तीसरी शर्त होती है सामाजिक सुरक्षा। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं कि कामकाजी महिलाओं को ज्यादा शोषण का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। परिवार में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। अस्मिता नामक एक गैर सरकारी संगठन ने एक शोध करवाया है, जिसके अनुसार तेरह प्रतिशत से अधिक महिलाएं पति द्वारा पीटी जाती हैं और जिनके साथ हाथापाई की जाती है। मुझे तो यह लगता है कि चाहे सब कुछ बदल चुका हो, लेकिन पुरूषों का मानसिक स्तर आज भी वैसा ही है, जैसा 300–400 साल पहले था। उत्पीड़न से परेशान महिलाओं की आत्महत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं तो कहती हूं कि कोख से लेकर कब्र तक महिलाएं असुरक्षित हैं। अगर मैं राजनीति की बात करूं तो बेशक महिलाओं को पंचायत स्तर पर 33 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है। लेकिन सच्चाई देखो जरा, कुछ महिलाओं का जिक्र छोड़ दिया जाए तो शेष डमी है। उनके पति या परिवार के सदस्य ही सभी निर्णय लेते हैं। वे तो केवल कठपुलियों की तरह केवल स्टांप बन हुई हैं। जनाब, चौथी शर्त होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। गांवों में महिलाएं आज भी सुबह तीन–चार बजे उठ जाती हैं। पशुओं को चारा–पानी देती है, दूध निकालती है फिर घर का काम–काज निपटाकर खेतों में जाती है। शाम को घर लौटती हैं तो फिर पशुओं को चारा खिलाना, दूध निकालना और भोजन की व्यवस्था का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं पूछती हूं कि गांव की औरत, जो हर वक्त काम में जुटी रहती है, उसे कामकाजी क्योंन नहीं माना जाता? उन्हें उनके काम की प्रशंसा तो दूर, लताड़ जरूर मिल जाती है। वे गुलामों की तरह जीवन जी रही हैं। पांचवी शर्त होती है स्वास्थ्य सेवाएं। आज देश की साठ प्रतिशत एनीमिया की समस्या से जूझ रही हैं। हर साल देश में 15 लाख लड़कियों का जन्म होता है और उनमें से एक चौथाई अपना पंद्रहवां जन्मदिन देखने से पहले ही मौत का शिकार हो जाती हैं। देश की हर पाचवीं महिला किसी न किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं। और साहब जी, छठी शर्त होती है काम करने की आजादी। आप खुद ही बता दीजिए, महिलाओं को क्या काम करने की आजादी है। आज भी अगर वे नौकरी की बातें करती हैं या बिजनेस की तो ज्यादातर घरों में उनका मजाक उड़ाया जाता है। आज भी ज्यादातर महिलाओं को वही करना पड़ता है जो उनके पति या परिवार के सदस्य चाहते हैं। और मैं समझती हं कि सातवीं शर्त होती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यह तो जैसे उनसे पूरी तरह ही छीन ली गई है। घर के, परिवार के या बाहर के, किसी भी मामले में उनकी प्रायः सलाह तक नहीं ली जाती। फैसले लेना आज भी मर्दों का पुश्तैनी अधिकार समझा जाता है।

फिर इससे पहले कि पत्नी का लंबा–चौड़ा भाषण और आगे बढ़ता, मैंने उसे टोक दिया और कहा–''तुम नैगेटिव सोच रही हो। कुछ पॉजीटिव भी तो सोचो। क्या तुम्हें कहीं भी नहीं लगता कि देश की महिलाएं वास्तव में सशक्त होकर उभर रही हैं।''

उसके चेहरे के भाव बदले। कहने लगी– ''मुझे उस दिन बहुत खुशी हुई थी, जब श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटिल देश की राष्ट्रपति बनी थीं। तब मुझे लगा था कि देश की महिलाएं अगर चाहें तो पुरूषों को हर क्षेत्र में टक्कर दे सकती हैं।''

मैंने तत्काल बातचीत का विषय बदल दिया और पूछा–''तुम क्या मानती हो, महिलाओं का सशक्तिकरण पूरी गति से क्यों नहीं हो पा रहा?'' उसने फौरन जवाब दिया–''मैं समझती हूं कि अभी तक देश की महिलाओं को अपने अधिकारों और कानून का ज्ञान नहीं है। पढ़ी–लिखी महिलाएं भी इस संबंध में प्रायः कुछ नहीं जानतीं और जानने की कोशिश भी नहीं कर रहीं। एक तो अशिक्षा उनके आड़े आ रही है और दूसरा मन में छिपा डर। अगर महिलाएं शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी तथा मन से हर तरह का डर निकाल देंगी, तब सही मायनों में उनका सशक्तिकरण हो जाएगा। इससे पहले बिल्कुल नहीं।''

मैं उसकी इन बातों से पूरी तरह सहमत था। फिर कोई बहस न हुई। दोनों अपने–अपने कामों में लग गए। मैं कहना चाहता हूं कि यह सच्चाई है। सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित होना होगा। अपने अधिकारों और कानून के बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करनी होगी। आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भीतर छिपे डर को बाहर निकालना होगा। डर ऐसे ही नहीं निकलेगा, जब तक कि शारीरिक रूप से इतना सक्षम नहीं हुआ जाता कि असामाजिक तत्वों से निपटा जा सके।

मेरा सुझाव है कि महिलाएं सबसे पहले स्वयं को अबला समझना छोड़ दें और स्वयं को वास्तव में दुर्गा या काली समझ लें। वे ऐसा प्रशिक्षण जीवन में अवश्य लें कि वक्त पड़ने पर अपनी सुरक्षा आप कर सकें। इसके अलावा अगर किसी लड़की या महिला के खिलाफ कोई अपराध होता है तो अन्य महिलाओं को खामोश नहीं रहना चाहिए। वे पीड़ित महिला का अवश्य साथ दें। जब तक असामाजिक तत्वों व अहंकार से भरे पुरूषों से टक्कर नहीं ली जाएगी, महिलाओं का सशक्तिकरण हो ही नहीं सकता।

एक खास सुझाव

मेरी एक महिला मित्र सौम्या चतुर्वेदी का एक और सुझाव है। वे कहती है–'अपनी बच्चियों को माता–पिता या अभिभावक ही काफी हद तक कमजोर बनाते हैं। उन्हें चाहिए कि वे अपनी बच्चियों को मजबूत बनाएं। उन्हें अधिक से अधिक पढ़ाएं–लिखाएं तथा आत्म सुरक्षा के लिए ट्रेनिग दिलवाएं। साथ ही उन्होने यह भी कहा है कि एक पिता अपनी बेटी की शादी पर लाखों रूपए खर्च कर देता है, फिर भी वह ससुराल में प्रताड़ना झेलती है। क्यों न यही पैसा बच्ची के सम्पूर्ण विकास पर खर्च किया जाए। उसे कहीं अच्छी जगह नौकरी लगवाया जाए या कोई बिजनेस खोलकर दिया जाए। इससे वह दहेज का दंश नहीं झेलेगी तथा प्रताड़ना का शिकार नहीं होगी।

मुझे हमेशा लगता है कि महिला सशक्तिकरण एक गंभीर विषय है। इसकी गहराइयों में जाना होगा। इस बात को निश्चित मान लीजिए कि जब तक कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, घरेलू उत्पीड़न, आर्थिक कमजोरी और असुरक्षा किसी महिला को घेरे रहेंगे, तब तक उसका सशक्तिकरण कोसों दूर रहेगा।

साभार : महिलाएं समझे अपने कानूनी अधिकार

(पृ.सं. 176 से 179 तक)

जे.के.वर्मा